न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./2022/210/भीलवाडा

विभागीय अपील द्वारा श्रीमती अंकिता ओझा, पटवारी तहसील भीलवाडा, जिला भीलवाडा विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा के आदेश क्रमांक रीडर/2022/596–99 दिनांक 17.02.2022 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (Non-Cumulative Effect) के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्रीमती अंकिता ओझा, पटवारी तहसील भीलवाडा, जिला भीलवाडा

निर्णय

दिनांकः– 11.10.2022

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला अजमेर के आदेश दिनांक 17.02.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए एक ज्ञापन दिनांक 16.08.2021 द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। अपीलार्थीया पर निम्न आरोप लगाये गयेः–

1. अपचारी कर्मचारी द्वारा पटवारी हल्का पालडी/रीछडा के पद पर रहते हुए निम्नानुसार नामान्तकरणो को 45 दिनो से अधिक लम्बित रख कर समय पर निस्तारण नही किया है।

क्र.सं.	नाम ग्राम	नामान्तकरण संख्या	लम्बित रहने की अवधि
1	कालसांस	2168	71 दिन
2		2179	57 दिन
3		2172	54 दिन
4	गोविन्दपुरा	370	173 दिन
5		383	56 दिन
6	छापरी	1308	54 दिन

7	पालडी	2347	141 दिन
8		2366	117 दिन

2. तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पत्र क्रमांक 1008 दिनांक 25.03.2021, 1696 दिनांक 13.07.2021 एवं 1796 दिनांक 23.07.2021 से जारी नोटिस का जवाब प्रस्तुत नही किया है। जो कर्मवारी द्वारा उच्च अधिकारियो के आदेशो की अवहेलना होकर कार्य के प्रति लापरवाही व उदासीनता का द्योतक है।

अपीलार्थीया को 15 दिवस के अन्दर आरोपित आरोपो का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा निर्धारित अवधि मे जवाब प्रस्तुत कर उस पर आरोपित आरोपों को अस्वीकार किया गया। उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध पाये जाने से अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (Non-Cumulative Effect) के दण्ड से दण्डित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के उक्त दण्डादेश दिनांक 17.02.2022 को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपचारी पटवारी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलार्थीया को व्यक्तिशः सुना गया।

अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत मूल अपील पर उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके द्वारा अपीलार्थीया द्वारा नामान्तकरणो के निस्तारण हेतु समय पर सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नही कर लम्बे समय तक अपने पास पेण्डिग रख गये इस प्रकार आरोप मे अंकित नामान्तकरणो का लम्बे समय तक पेण्डिग रख कर अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरती है। अपीलार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष स्वीकृति हेतु नामान्तकरण किस–किस तारिख को प्रस्तुत किये गये जिसका कोई विवरण अंकित नही है। राजस्व रेकार्ड मे पाई गई कमिंयो के मध्यनजर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक जांच की कार्यवाही करने हुए एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (Non-Cumulative Effect) के दण्ड से दण्डित किया गया था।

अपीलार्थीया ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कालसांस के 3, गोविन्दपुरा के 2, छापरी का 1, पालडी के 2 नामान्तकरण 45 दिन से अधिक थे । मेरे द्वारा सभी नामान्तकरण का निस्तारण कर दिया गया। अपचारी कर्मचारी ने निवेदन किया कि वह दिनांक 21.09.2020 से पटवार मण्डल पालडी मे कार्यरत रही एवं दिनांक 26.10.2020 से अतिरिक्त सर्कल रीछडा का चार्ज रहा। तथा अब दरीबा पटवार मण्डल का चार्ज भी दे दिया गया। इस प्रकार नोटिस दिये जाने के समय उसके पास तीन पटवार मण्डल का चार्ज

रहा है। जिससे कार्य की अधिकता के कारण नामान्तकरण निस्तारण मे विलम्ब हुआ है। तथा ग्राम पंचायत खेडलिया, पालडी के सरपंच द्वारा समय पर कोरम नही रखी जाने के कारण भी नामान्तकरण निस्तारण मे विलम्ब हुआ। जिसके कारण मुझे पर्याप्त समय नहीं मिल पाया बाद मे मेरे द्वारा सभी आरोपो की पालना सही समय पर करके उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश कर दिये गये थे। अन्त मे अपचारी कर्मचारी ने निवेदन किया कि भविष्य मे सभी कार्य समय पर किये जायेगें एवं उच्चाधिकारियों के आदेशो की पालना की जायेगी। अतः उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2022 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

मैंनें अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा द्वारा प्रेषित टिप्पणी, मूल रेकार्ड व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी पटवारी को जारी आरोप पत्र एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अपीलार्थीया के पास तीन पटवार मण्डल का चार्ज होने से कार्य की अधिकता के कारण नामान्तकरण निस्तारण मे विलम्ब हुआ है। तत्पचात कर्मचारी द्वारा कार्य को पूर्ण कर लिया गया। उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा ने अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार व नजर अन्दाज कर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (Non-Cumulative Effect) के दण्ड से दण्डित किया गया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने से विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 17.02.2022 विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीया श्रीमती अंकिता ओझा, पटवारी तहसील भीलवाडा, जिला भीलवाडा विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा की अपील सारयुक्त होकर स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थीया को भविष्य मे सावधानी से कार्य करने की मौखिक चेतावनी देते हुए प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त/ड्रॉप किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 17.02.2022 विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(भंवर लाल मेहरा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर